सिविल मिसेलेनियस

प्रेम चंद जैन जस्टिस के सामने

गुरनडिट्टा माल-याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाताओं

1968 की सिविल रिट याचिका संख्या 45
22 नवंबर, 1968

भारत का संविधान (1950)-अनुच्छेद 311-एक सरकारी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने वाले प्राधिकरण को दंडित करना-इससे अपील खारिज कर दी गई-दंडित करने और अपीलीय अधिकारियों के आदेश - क्या ऐसे आदेश 'बोलने वाले आदेश' होंगे?

अभिनिर्धारित किया गया कि यद्यपि प्रक्रिया को विहित करने वाले कोई नियम नहीं हो सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी के आदेश और उससे अपील में आदेश किस रीति से पारित किए जाने चाहिए, फिर भी दंडक प्राधिकारी के दृष्टिकोण और अपीलीय प्राधिकारी के दिमाग और उन आधारों को समझने के लिए जिनके आधार पर ऐसे आदेश पारित किए गए हैं, यह आवश्यक है कि आदेश 'बोलने वाले आदेश' होने चाहिए। उन्हें वे आधार देने चाहिए जिनके आधार पर उन्हें पारित किया गया है। यदि आदेश आदेश नहीं बोल रहे हैं, तो उन्हें इस कारण से निरस्त किया जाना चाहिए कि उनमें सरकारी कर्मचारी के प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने के तरीके का कोई संकेत नहीं है और न ही यह संकेत दिया गया है कि क्या उसके खिलाफ पूरी सामग्री पर विचार किया गया था।

(Para 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रत्यर्थियों के दिनांक 22 जुलाई 1964; 2 मार्च 1965 और 20 अप्रैल 1967 (अनुलग्नक 'ए', 'बी', 'सी' और 'आर-4') के आक्षेपित आदेशों को निरस्त करते हुए प्रमाण पत्र, परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए और विभाग को निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ता एक संचालक के रूप में कार्यरत रहे जैसे कि उसकी सेवाएं कभी समाप्त नहीं की गईं और आगे प्रार्थना की जाए कि याचिकाकर्ता को उसकी सेवा की समाप्ति की तारीख से सभी वेतन और भत्तों का हकदार घोषित किया जाए।

बी. एस. शांत, याचिकाकर्ता के वकील।

बी एस गुप्ता, अधिवक्ता, उत्तरदाता 1 से 5 के लिए महाधिवक्ता (हरियाणा) के लिए।

निर्णय

जैन, जस्टिस

1. गुरनडिट्टा माई ने यह याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर की है, जिसमें आक्षेपित आदेशों अनुबंध ए, बी, सी और आर-4 को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र की रिट जारी करने की मांग की गई है|

2. याचिका में बताए गए तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 15 जून, 1960 को अंबाला में तत्कालीन पंजाब रोडवेज में कंडक्टर के रूप में शामिल हुआ था। उन्होंने कुशलता से काम किया लेकिन कुछ स्थानीय गुटों के कारण विभागीय जांच के बाद प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा उनकी सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त कर दिया गया-आदेश संख्या 953/ई दिनांक 22 जुलाई, 1964 (अनुलग्नक 'ए') एक अपील दायर की गई थी, लेकिन उसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था-कार्यालय ज्ञापन संख्या ए (99जे-64/ईए-3/3364/एन, दिनांक 2 मार्च, 1965 (अनुलग्नक 'बी') यह आगे कहा गया है कि सरकार के समक्ष दूसरी अपील भी दायर की गई थी, लेकिन उस अपील पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था और इसलिए याचिकाकर्ता ने हरियाणा राज्य के तत्कालीन परिवहन मंत्री (प्रतिवादी संख्या 6) के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार की मांग की और उन्हें एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे अनुकूल विचार के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को पारित किया गया था। यह माना जाता है कि अपील पर या याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर कोई जवाब नहीं मिलने पर, व्यक्तिगत साक्षात्कार मांगा गया था और पूरी पृष्ठभूमि तत्कालीन परिवहन मंत्री को समझाई गई थी, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 3 के साथ टेलीफोन पर बात की थी और बाद वाले को सलाह दी थी कि याचिकाकर्ता को उसके (प्रतिवादी संख्या 6) मौखिक आदेशों के संदर्भ में बहाल करने के लिए लिखित आदेश पारित किया जाए। प्रतिवादी संख्या 6 के निर्देश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा लिखित आदेश जारी किए गए थे। 3 प्रत्यर्थी नं. 5 याचिकाकर्ता को बहाल करने के लिए, लेकिन जवाब प्राप्त हुआ कि कोई रिक्ति नहीं थी जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 को याचिकाकर्ता को नियुक्त करने के लिए लिखित आदेश जारी किए गए थे। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को 3 मार्च, 1967 को ड्यूटी के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था

3. यह आरोप लगाया जाता है कि फरवरी, 1967 में आम चुनावों के दौरान, प्रतिवादी एन. ओ! 6 को पराजित किया गया था जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने ज्ञापन संख्या ए 99.64/1431/ईए-3/एन, दिनांक शून्य (अनुलग्नक 'सी') के माध्यम से आदेश पारित करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार किया गया था और दायर किया गया था। इसके बाद 19 अप्रैल, 1967 को प्रत्यर्थी संख्या 4 ने याचिकाकर्ता को फोन किया और उसे बताया कि उसकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं और परिवहन क्लर्क से कहा कि वह 20 अप्रैल, 1967 से याचिकाकर्ता को कोई कर्तव्य न दे। याचिका में उल्लिखित आधारों पर, अनुलग्नक ए, बी, सी और आर-4 के आदेशों को अवैध, अधिकार से बाहर, असंवैधानिक, दुर्भावनापूर्ण, अन्यायपूर्ण और शून्य होने के लिए चुनौती दी गई है।

4. दो रिटर्न दाखिल किए गए हैं, एक संयुक्त रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से और दूसरा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से। याचिका में सभी आरोपों का खंडन किया गया है और

यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 3 मार्च 1967 से प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा एक अस्थायी रिक्ति के खिलाफ फिर से नियुक्त किया गया था और चूंकि यह नियुक्ति पत्र में विशेष रूप से इंगित किया गया था कि उसकी सेवाओं को किसी भी समय बिना किसी सूचना/किसी कारण को निर्दिष्ट किए बिना समाप्त किया जा सकता है, इसलिए याचिकाकर्ता की सेवाओं को 18 अप्रैल, 1967 से आगे नहीं बढ़ाया गया था।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री बी. एस. शांत द्वारा केवल यह निवेदन किया गया था कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त करने वाला आदेश (अनुलग्नक 'ए') और अपील को खारिज करने वाला आदेश (अनुलग्नक 'बी') आदेश नहीं बोल रहे थे। इन आदेशों से यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि अधिकारियों ने अपना दिमाग नहीं लगाया था और इसलिए आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। यह भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता अपील को खारिज करने से पहले व्यक्तिगत सुनवाई का हकदार था। रिलायंस को इस अदालत के फैसलों पर मोहिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य और बलबीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य और हरि सिंह और अन्य बनाम अतिरिक्त निदेशक, होल्डिंग्स और अन्य के समेकन में रखा गया था।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से पेश वकील श्री बी. एस. गुप्ता ने तर्क दिया कि कोई भी बोलने का आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि याचिका को स्वीकृति के आधार पर खारिज किया जा सकता है क्योंकि याचिकाकर्ता ने 3 मार्च, 1967 को कंडक्टर के रूप में पुनः नियुक्ति को स्वीकार करके समाप्ति के आदेश को सही होने के लिए स्वीकार किया था। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिका को देरी के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

7. पक्षकारों के विद्वान वकील की संबंधित दलीलों और बार में उद्धृत कानून पर विचार करने के बाद मेरा विचार है कि इस याचिका को अनुमति दी जानी चाहिए। श्री बी. एस. गुप्ता ने बहुत निष्पक्षता से स्वीकार किया कि आदेश अनुलग्नक 'ए' और 'बी' बोलने वाले आदेश नहीं थे, लेकिन तर्क दिया कि बोलने वाले आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था। मुझे डर है कि विद्वान वकील का यह तर्क मान्य नहीं है। बर्खास्तगी का आदेश पारित होने के बाद, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिसमें कई आधारों पर आरोप लगाया गया था कि उसके खिलाफ की गई जांच अवैध थी, और प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन था और वह उच्च अधिकारियों के प्रतिशोध का शिकार हुआ था। यह भी विशेष रूप से अनुरोध किया गया था कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत रक्षा के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया था। याचिका में आक्षेपित आदेश अनुलग्नक 'ए' और 'बी' को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि वे आदेश नहीं बोल रहे थे और उन्हें मामले के तथ्यों को ध्यान में रखे बिना पारित किया गया था। अनुलग्नक 'क' और 'ख' के आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि (याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसकी अपील को अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ पारित बर्खास्तगी का आदेश, उस सामग्री का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं करता है जिस पर वे आधारित हैं और न ही वे ऐसा करने के कारणों का खुलासा करते हैं। आदेश अनुलग्नक 'ए' में सिर्फ इतना कहा गया है, "गबन के आरोपों का दोषी पाए जाने के बाद-आरोप पत्र संख्या 9/टीसी, दिनांक 15 अप्रैल 1964 के अनुसार, श्री जी डी मॉल अड्डा कंडक्टर संख्या 17 को सेवा से हटा

दिया गया है" जबकि आदेश अनुलग्नक 'बी' याचिकाकर्ता को केवल एक संदेश है कि अपीलीय प्राधिकरण ने महाप्रबंधक पंजाब रोडवेज गुड़गांव द्वारा कंडक्टर के रूप में उनकी सेवाओं को समाप्त करने के आदेश के खिलाफ उनके द्वारा प्रस्तुत संदर्भ के तहत अपील पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और इसे खारिज कर दिया है। इन आदेशों में यह संकेत नहीं दिया गया है कि अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक सामग्री पर विचार किया गया था। राज्य के विद्वत वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले कोई नियम नहीं हैं कि खारिज किए जाने का आदेश और अपील में आदेश किस तरीके से पारित किया जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, यह कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है कि आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए। ऐसा हो सकता है, लेकिन दंड देने वाले प्राधिकारी के दृष्टिकोण और अपीलीय प्राधिकारी के दिमाग और उन आधारों को समझने के लिए, जिनके आधार पर विवादित आदेश पारित किए गए हैं, यह आवश्यक है कि आदेश एक बोलने वाला आदेश होना चाहिए और उन आधारों को देना चाहिए जिनके आधार पर इसे पारित किया गया है। जिस तरह से अपीलीय प्राधिकरण ने अपील का निपटान किया है, वह अपील पर बिल्कुल भी विचार नहीं करने के बराबर है। मैं जो विचार रख रहा हूं, वह मोहिंदर सिंह के मामले में और राम सहाय बनाम उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और अन्य मामलों में इस अदालत के फैसले से पूरी तरह से समर्थित है। मामले के इस दृष्टिकोण में मेरा मानना है कि आक्षेपित आदेश अनुलग्नक 'क' और 'ख' को इस कारण से निरस्त किया जाना चाहिए कि उनमें याचिकाकर्ता के प्रतिकूल निष्कर्ष पर पहुंचने के तरीके का कोई संकेत नहीं है और न ही यह इंगित किया गया है कि क्या उसके खिलाफ पूरी सामग्री पर विचार किया गया था।

8. इसके बाद राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को यह याचिका दायर करने से रोक दिया गया है क्योंकि उसने पुनर्नियुक्ति की मांग करके बर्खास्तगी के आदेश को स्वीकार कर लिया है। मुझे डर है कि इस विवाद में कोई सार नहीं है। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश परिशिष्ट 'ए' और 'बी' को सही होने के लिए स्वीकार किया था। जिन परिस्थितियों के तहत याचिकाकर्ता ने 3 मार्च 1967 को पद स्वीकार किया, जैसा कि याचिका में कहा गया है, हालांकि रिटर्न में विवादित है, यह दर्शाता है कि याचिकाकर्ता हमेशा यह सोच रहा था कि तत्कालीन परिवहन मंत्री के आदेश के तहत उसे बहाल कर दिया गया था और यह पुनर्नियुक्ति का मामला नहीं था। याचिकाकर्ता हमेशा से समाप्ति आदेश की वैधता और वैधता को चुनौती देता रहा है और याचिका को सहमति के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

9. विद्वान वकील का यह तर्क कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह भी चोटों से ग्रस्त है, मान्य नहीं है। याचिका में बताई गई परिस्थितियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि याचिकाकर्ता चोटों के लिए दोषी नहीं था क्योंकि वह अपना आगे का उपाय कर रहा था और तत्कालीन परिवहन मंत्री द्वारा उसे यह समझने के लिए दिया गया था कि उसे कुछ राहत दी जा रही है। अन्यथा भी जो दृष्टिकोण मैंने गुण-दोष पर लिया है, मैं इस याचिका को विलंब के आधार पर खारिज नहीं करने जा रहा हूं।

10. किसी अन्य बिंदु पर जोर नहीं दिया गया है।

11. मामले के इस दृष्टिकोण में मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और आदेश अनुलग्नक 'ए' और 'बी' को रद्द करता हूं। मैं आगे निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ता विभाग में कंडक्टर के रूप में कार्यरत रहे जैसे कि उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं से अपना खर्च उठाएगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कह्रखोदा (सोनीपत) हरियाणा